न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/10/2023 रजू दिनांकः 13.01.2023 रजि0 न0 2023/20

अपीलार्थीः–

श्री मेनका शर्मा C/o धर्मपाल शर्मा, ग्राम रानोठ, तहसील मुण्डावर–301404 जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय अलवर, जिला अलवर (राज0)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 20.02.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2022 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 31.01.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/360 दिनांक 13.02.2023 के माध्यम अवगत कराया है कि ऑनलाईन पत्र सं0 7041996403 दिनांक 13.02.23 के माध्यम से विनियचय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है, प्रेषित सूचनानुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 22.11.22 में वांछित सूचना विशिष्टीविहीन, विस्तृत, सर्च कर उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना होने के कारण देय नही होना अवगत कराया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 20.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)